श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 09.04.2018 को ब्रह्मपुर प्रखण्ड में हर घर नल का जल, नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा बैठक एवं संध्या चौपाल की टिप्पणी।

===

दिनांक 09.04.2018 को अपराह्न 3.00 बजे ब्रह्मपुर प्रखण्ड के सभागार में हर घर नल का जल, नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा बैठक की गई। साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बराढ़ी के म0वि0, भादा के प्रांगण में संध्या चौपाल भी आयोजित की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी तथा प्रखण्ड स्तरीय अन्य पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य उपस्थित थे, जिसकी टिप्पणी निम्नवत् है–

(1) <u>हर घर नल का जल, नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान</u> :– बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये –

(i) <u>हर घर नल का जल</u> :–

बैठक में हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा बताया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन के क्रम में अनियमितता बरतने की शिकायतें विभिन्न वार्डो से प्राप्त हो रही है। मुख्य शिकायतें हैं– बोरिंग निर्धारित गहराई में नहीं होना, पाईप की गुणवत्ता में कमी होना, पाईप लाईन निर्धारित गहराई में नहीं बिछाना तथा बोरिंग में ग्रेबुल के स्थान पर अन्य सामग्री का उपयोग किया जाना।

बैठक में उपस्थित मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस योजना के कार्यान्वयन में प्राक्कलन में अंकित प्रावधानों का अनुपालन करें। बोरिंग की गहराई क्षेत्र के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, परन्तु जितनी गहराई में बोरिंग की गई है, उसकी स्पष्ट प्रविष्टि मापी पुस्तिका में दर्ज होना चाहिए। पाईप लाईन प्राक्कलन के अंकित गहराई में ही बिछाने का निदेश दिया गया। पाईप की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने तथा 75 MM, 63 MM इत्यादि व्यास की पाईप का प्रयोग प्राक्कलन के अनुरूप सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। पाईप के संबंध में बताया गया कि HDPE, MDPE एवं CPVC पाईप का उपयोग होना है। मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को निदेशित किया गया कि हर घर नल का जल योजना में किये जा रहे कार्यो की लगातार जांच करते रहे तथा त्रुटि होने पर तत्काल सुधार करायें।

मुखियागण एवं वार्ड सदस्यों की पृच्छा के आलोक में बताया गया कि जिन पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल के द्वारा कार्य की जानी है, उसमे उक्त विभाग के द्वारा डी0पी0आर0 तैयारी एवं निविदा की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है तथा कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा। उत्तरी नैनीजोर के संदर्भ में बताया गया कि यह पंचायत आर्सेनिक प्रभावित है तथा इस पंचायत में अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल के माध्यम से नल का जल योजना में कार्य कराया जाएगा। बैठक में बताया गया कि यदि किसी वार्ड में अधिक दूरी पर गाँव/टोला हो तो ऐसी स्थिति में कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन करायेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी राशि का अपव्यय नहीं होने पाये।

ब्रह्मपुर प्रखण्ड में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 31.03.2018 तक 44 के विरूद्ध 21 वार्डो में नल का जल योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है। इस प्रखण्ड की प्रगति काफी असंतोषजनक है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में शेष वार्डो में भी कार्य प्रारम्भ किया जाना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस योजना के कार्यान्वयन में प्रगति लाये तथा प्राक्कलन तैयार करा कर तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि स्थानांतरण कराते हुए अगले एक सप्ताह में 31.03.2018 तक निर्धारित लक्ष्य का शतप्रतिशत वार्डो में कार्य प्रारम्भ करायें। साथ ही अवशेष वार्डो में शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु वार्डो का चयन प्राथमिकता क्रम में किया गया है अतः प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही वार्डो में राशि स्थानांतरण करेंगे। सभी वार्ड सदस्यों को निदेशित किया गया कि योजना कार्यान्वयन के क्रम में उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। मुखियागण भी योजना स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा योजना कार्यान्वयन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती हो तो उसे अविलम्ब वार्ड सदस्य के माध्यम से निराकरण करायेंगे।

बैठक में उत्तरी नैनीजोर पंचायत के वार्ड सदस्य के द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड के कई पंचायतों में एक एजेंसी के द्वारा कुल 25 स्थानों पर बोरिंग किया गया है तथा इससे आगे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा बताया गया है कि यह कार्य केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत है। बैठक में उपस्थित कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा भी इस योजना के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। **कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि उक्त योजना के बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगे।**

(ii) <u>नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना</u> :–

नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 31.03.2018 तक 128 के विरूद्ध 44 वार्डो में नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस योजना की ब्रह्मपुर प्रखण्ड में प्रगति काफी असंतोषजनक है। योजना कार्यान्वयन के क्रम में नाली की पानी की निकासी की स्थिति पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। इस क्रम में नाली की पानी उचित स्थान पर गिराने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। इसके लिए प्राकृतिक स्थल के रूप में गांवों में अवस्थित आहर/पईन आदि में पानी गिराने की व्यवस्था की जा सकती है। यदि आहर/पईन आदि पर अतिक्रमण हो अथवा भर गये हो तो उसे मनरेगा के तहत सफाई करा कर पानी गिराने की व्यवस्था की जा सकती है तथा अतिक्रमण वाले आहर/पईन को अंचल अधिकारी के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त करा कर उसका उपयोग करने हेतु निदेश दिया गया। बैठक में बताया गया कि योजना कार्यान्वयन के क्रम में मार्गदर्शिका में निहित निदशों का अनुपालन के साथ–साथ योजना की गुणवत्ता बनाये रखेंगे।

(iii) <u>लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान</u>:– लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि पूर्व की तुलना में कुछ प्रगति हुई है तथा अब प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्त किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य में सरकारी पदाधिकारी, कर्मी एवं जन प्रतिनिधियों की संयुक्त रूप से सहभागिता आवश्यक है। सभी पंचायत एवं प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों को निदेशित किया गया कि प्रतिदिन

सुबह/शाम फॉलोअप करायें। साथ ही निदेशित किया गया कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं जीविका के सदस्यों की टीम बनाकर सुबह/शाम फॉलोअप कराने के साथ-साथ निगरानी टीम गठित कर निगरानी करायें।

प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड में जितने BO है उतना टीम गठित कर निगरानी एवं सुबह/शाम फॉलोअप करायें। वार्ड सदस्य एवं मुखिया से अपील की गई कि वे भी अपने स्तर से भी टीम गठित कर सुबह/शाम फॉलोअप करायें तथा निगरानी टीम के माध्यम से निगरानी करायें। इस क्रम में यह भी बताया गया कि पंचायत में शौच करने के जितने भी चिन्हित स्थान है, उतनी संख्या में निगरानी टीम बनायें तथा खुले में शौच जाने वाले लोगों खुले में शौच नहीं जाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपील करें तथा उन्हें अपना शौचालय बनाने तथा उसके उपयोग करने हेतु प्रेरित करें। साथ ही शौचालय विहीन परिवारों के घर पहुँच कर उन्हें मोटिवेट कर उनके माध्यम से उनका शौचालय निर्माण करायें तथा उसके उपयोग हेतु प्रेरित करें।

बैठक में बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अब जिस वार्ड के 75 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण हो चुका है, उक्त वार्ड में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं पंचायतों के नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिनका शौचालय निर्माण मानक के अनुसार नहीं हुआ है, उनको जानकारी देकर उनके शौचालय में आवश्यक सुधार करायें तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त आवेदन के आलोक में प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार भुगतान करें।

बैठक में बताया गया कि दो लिच पिट का शौचालय सबसे बेहतर होता है तथा सालो-साल चलता है तथा सेप्टिक शौचालय से बेहतर होता है एवं कम राशि में बन जाता है। अतः दो लिच पिट वाला शौचालय बनाये जाने हेतु शौचालय विहीन परिवार को प्रेरित करें। बैठक में यह भी बताया गया कि कमजोर वर्ग के इच्छुक परिवारों को अपने शौचालय बनाने में समुदाय के लोगों के द्वारा कुछ मदद किया जा सकता है, परन्तु किसी भी परिस्थिति में खुले में शौच मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठेकेदारी प्रथा अथवा CLTC विधि के अतिरिक्त अन्य किसी विधि का उपयोग नहीं होने पायें, इसे सुनिश्चित करायेंगे।

अंत में सभी से अपील की गई कि अगले एक महिने के अन्दर ब्रह्मपुर प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्त बनायें।

(2) <u>संध्या चौपाल</u> :- ब्रह्मपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बराढ़ी के मध्य विद्यालय, भादा के प्रांगण में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत अपराह्न 5.00 बजे संध्या चौपाल आयोजित की गई। इसमें पंचायत स्तरीय कर्मी/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि तथा बच्चे, बच्चियां नवयुवक, महिला-पुरूष एवं वृद्धजन उपस्थित हुए।

उप विकास आयुक्त द्वारा खुले में शौच जाने से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा महिलाओं एवं बच्चियों के साथ होने वाले दुर्घटनाओं/दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई। स्वच्छ एवं साफ-सुथरा समाज का निर्माण एवं महिलाओं के सम्मान हेतु उन्हें खुले में शौच नहीं जाने तथा अपना शौचालय निर्माण एवं उपयोग के बारे में अपील की गई।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस संध्या चौपाल में उपस्थित सभी जन समुदाय एवं जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया गया तथा उन्हें खुले में शौच जाने से होने वाले बीमारियों तथा घर में शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं एवं बच्चियों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। चौपाल के माध्यम से सभी लोगों से अपील की गई कि सभी लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण एवं उसका उपयोग करें। यह भी बताया गया कि महिलाओं एवं बेटियों के साथ खुले में शौच जाने के क्रम में दुर्व्यवहार की घटनाएँ हुई है। अपील की गई कि महिलाओं एवं बेटियों के सम्मान हेतु अपने घरों में शौचालय बनाये ताकि वे खुले में शौच हेतु नहीं जाये।

चौपाल में बताया गया कि स्वच्छता के बारे में विभिन्न स्त्रोतों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टी0वी0 के माध्यम से अभिनेता/अभिनेत्रियों के द्वारा भी शौचालय एवं उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा खुले में शौच नहीं करने की अपील की जा रही है। कई महिलाओं ने शौचालय के महत्त्व को समझा है तथा अपने जेवर तक बेच कर शौचालय का निर्माण कराया है।

शौचालय के बारे में बताया गया कि दो लिच पिट वाला सबसे बेहतर होता है। इसमें एक मीटर गहरा एवं एक मीटर व्यास का दो गढ्ढ़ा होता है। एक गढ्ढ़ा खुला रहता है जिसमें मल जाता है तथा उसके भरने में तीन–चार वर्ष लग जाते है। जब यह गढ्ढ़ा भर जाता है तो उसे एक वर्ष के लिए बंद कर दिया जाता है तथा दूसरे गढ्ढ़ा में मल प्रवाहित किया जाता है। पहले वाले गड्ढ़ा का मल एक साल में खाद बन जाता है तथा यह खाद अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। इसे खेतों में डालने अच्छी उपज होती है। इस प्रकार के खाद को बेचा भी जा सकता है।

चौपाल में उपस्थित महिला/पुरूष एवं नवयुवकों से अपील की गई कि अपने पंचायत के लोगों को अपने घरों में शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु प्रेरित करें तथा 10–10 लोगों की टीम बनाकर वैसे स्थान जहाँ लोग शौच करने जाते है, वहाँ पहुँच कर लोगों को खुले में शौच करने से शांतिपूर्ण तरीके से ना करें तथा उन्हें अपने शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु प्रेरित करें। बच्चे भी खुले में शौच जाने वाले हठी लोगों को लोटा का पानी गिरा सकते हैं। संध्या चौपाल में उपस्थित लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले एक महीने के अन्दर अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त कर इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में अधोहस्ताक्षरी को आमंत्रित करेंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10 – 1309 /गो0 दिनांक 20/04/18

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि टिप्पणी की प्रति अपने स्तर से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों/पंचायत के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बक्सर–सह–मेंटर, ब्रह्मपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/04/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।